अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह

प्रधानमंत्री मोदी, शाह, नड्डा सहित कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे

- शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां देखने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ व प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी अल्बर्ट हॉल गए।
- इसी बीच नए मुख्यमंत्री भजन लाल को सपरिवार चंबल पावर के गैस्ट हाऊस में शिफ्ट कर दिया गया।

जयपुर, 13 दिसम्बर (का.सं.)। भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में बैठक हुई। इसमें नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा प्रदेश भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह 15 दिसम्बर को सुबह 11:15 बजे अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा जा रहा है। इसी दिन दोनों उपमुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे।

बुधवार सुबह भजनलाल शर्मा ने सांगानेर में सांगा बाबा मंदिर के दर्शन किए। यहां से वे प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां फूल-मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। नई उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने दिन की शुरुआत जयपुर के आराध्य गोविंददेव के यहां धोक लगाकर की। उन्होंने जयपुर के कई प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा-अर्चना भी की। निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री मनोनीत होने की बधाई दी तो भजनलाल शर्मा ने भी उनका आभार जताया।

बुधवार सुबह मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल को परिवार सहित जयपुर में चंबल पावर के गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया। अब नई सरकार के स्वरूप पर चर्चाएं चल रही हैं और विधायकों ने मंत्री बनने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। अल्बर्ट हॉल के बाहर होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अल्बर्ट हॉल पर सी.एम. सुरक्षा, समान्य प्रशासन विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. सहित कई विभागों के अधिकारी और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी मौजूद हैं। वहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी और राजेंद्र राठौड़ ने भी अल्बर्ट हॉल पंहुचकर तैयारियों का जायजा लिया।

प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी ने कहा कि 15 दिसंबर को अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग में शपथ ग्रहण समारोह होगा। भजनलाल शर्मा सुबह 11:15 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को किया आमंत्रित गया है। इसके साथ ही प्रदेश भर से बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर सी.पी. जोशी ने कहा कि भाजपा में विधायकों की राय से कोई फैसला लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस में तो हर निर्णय आलाकमान ही लेता हैं। भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के तहत फैसले लिए जाते हैं। ये वही कांग्रेस है, जिसमें मुख्यमंत्री के फैसले के लिए दिल्ली में जमावड़ा जमा रहा। ये वही कांग्रेस है, जिसने अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना है। प्रदेश की जनता ने इस कांग्रेस के नकारा है।

दिल्ली की अदालत ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिका के खारिज होने का परिणाम अब यह होगा कि अशोक गहलोत को सशरीर अदालत में उपस्थित होना होगा और जमानत के मुचलके भरने के अलावा अदालती सुनवाई में भी उपस्थित होना पड़ेगा।

इतना ही नहीं, इस आदेश के दिए जाने के बाद से ही गहलोत को पहले व्यक्तिगत उपस्थिति एवं जमानत मुचलका करने में जो छूट मिली हुई थी, वह अब समाप्त हो गई है।

कोर्ट ने 64 पृष्ठों के अपने विस्तृत आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि ए.सी.एम.एस. कोर्ट ने जो सम्मन दिया है उसमें कोई भी तथ्यात्मक, वैधानिक या अमर्यादित त्रुटि नहीं है तथा उसी को यथावत रखा गया है। यह बताना महत्वपूर्ण है कि दिनांक 6.7.2023 को जारी सम्मन ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरोपी अशोक गहलोत वादी गजेन्द्र सिंह शेखावत के विरूद्ध झूठे आरोप लगाकर उनका अपमान करने के दोषी हैं। ये आरोप झूठे थे और उन्हें बदनाम करने के समान थे।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि यह अशोक गहलोत के लिए कानूनी समस्या की शुरुआत है। जैसा कि इस संवाददाता ने बार-बार लिखा है, अशोक गहलोत के जीवन के अगले कुछ वर्ष कोर्ट केस लड़ने में बीत सकते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा की नई सरकार पूर्व मुख्यमंत्री के पांच साल के कार्यकाल में की गई कारगुजारियों पर जांच बिठा सकती है।

संसद में घुसपैठः लड़का लाटूर का, लड़की हिसार की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर। संसद में बगैर प्रवेशपत्र के घुसने की कोशिश करने वालों में से एक अनाधिकृत व्यक्ति महाराष्ट्र के लाटूर का निवासी है जबकि उसके साथ जो लड़की थी वह हरियाणा के हिसार की छात्रा थी।

इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि, "हम इस बात का सत्यापन कर रहे हैं कि संसद के एक घुसपैठिये

- दोनों के हाथ में कैन थे जिनसे लाल और पीला धुआं निकल रहा था।

की पहचान लाटूर के अमोल शिन्दे के रुप में की गई है। हम केन्द्रीय एजेन्सियों के साथ सम्पर्क समन्वय बना रहे हैं।"

कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला, जिन्होंने दर्शक दीर्घा से सदन में कूदने वाले दो व्यक्तियों को मजबूती से पकड़ा था, ने घटना के बारे में इस तरह बताया।

उन्होंने बताया, "उसके हाथ में ऐसी कुछ वस्तु थी जिससे पीले रंग का धुआं निकल रहा था। मैंने उससे यह छीन लिया और उसे बाहर की तरफ कर दिया। सुरक्षा में यह बहुत बड़ी चूक है..."

इस घटना के बाद अध्यक्ष राजेन्द्र अग्रवाल ने लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी, हालांकि दर्शक दीर्घा से सदन में कूदने वाले दोनों घुसपैठियों को सांसदों एवं सुरक्षा कर्मियों ने उनको पीछा करके दबोच लिया था। जिस समय घटना हुई उस वक्त शून्य काल के दौरान भाजपा सदस्य खर्गे मुर्मु तत्काल लोक महत्व के मामलों में बोल रही थी।

मानहानि प्रकरण में पूर्व सी.एम. गहलोत की रिवीज़न याचिका खारिज

- अपीलीय अदालत ने माना कि, निचली अदालत का सम्मन जारी करने का 6 जुलाई का आदेश सही था।
- अपीलीय अदालत ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला रिज़र्व रख लिया था।

जयपुर, 13 दिसंबर (का.सं.)। दिल्ली की विशेष अदालत ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाले को लेकर केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह व उनके परिजनों के खिलाफ बयानबाजी के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रिवीज़न याचिका को खारिज कर दिया है। गहलोत की ओर से रिवीजन याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें निचली अदालत ने समन जारी कर तलब किया था।

अपीलीय अदालत ने अपने आदेश में माना कि एसीएमएम कोर्ट का प्रकरण में समन जारी करने का गत 6 जुलाई का आदेश सही था और उसमें किसी तरह की कानूनी त्रुटि नहीं है। विशेष कोर्ट ने गत दिनों मामले में पक्षकारों की बहस पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व रखा था। इस मामले में विशेष कोर्ट ने मानहानि केस में सुनवाई कर रही निचली कोर्ट को कहा था कि वह समन जारी करने पर बहस जारी रख सकती है, लेकिन कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करे। मामले में गहलोत ने कोर्ट से आग्रह किया था कि निचली कोर्ट द्वारा मामले में आरोप तय करने पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही कहा था कि यदि निचली कोर्ट आरोप तय कर देगी तो मौजूदा रिवीज़न पिटिशन सारहीन हो जाएगी।

गौरतलब है कि गजेंद्र सिंह ने मानहानि परिवाद दायर कर कहा है कि तत्कालीन मु.मंत्री ने संजीवनी प्रकरण में उनके व उनके परिजनों के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी की है। परिवाद पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने गहलोत को समन जारी कर तलब किया था। इसके खिलाफ रिवीजन याचिका पेश कर गहलोत की ओर से कहा गया था कि उन्होंने बतौर गृह मंत्री एसओजी की जांच के आधार पर बयान दिया था। निचली अदालत को मामले में समन जारी करने का अधिकार नहीं है। रिवीजन खारिज होने के बाद अब निचली अदालत में मानहानि प्रकरण में सुनवाई चलेगी।

लोकसभा की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आगामी शुक्रवार को दोपहर 1 बजे तक सदन स्थगित कर दिया उसके बाद पुनः बैठक होगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने से मना कर दिया और आदिवासी यूनिवर्सिटी के विधेयक पर चल रही चर्चा को जारी रखा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पर सदन में विपक्षी दल ने शाम 4 बजे तक सदन की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर दबाव बनाया। उसके 4 बजे अध्यक्ष ने घोषणा में कहा कि आगन्तुक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे और कहा कि नये भवन सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जा रही है।

शिवसेना सांसद संजय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दर्ज किया गया है। दस अगस्त को लिए एक आलेख में राउत ने महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार पर निशाना साधा था।

सामना के एडिटोरियल में कहा कि आवश्यक वस्तुओं के दाम जरूरत से ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर यही हाल रहा तो अनाज, दालों व चीनी की कमी हो जाएगी। आलेख में इन हालात के प्रति मोदी सरकार की जागरूकता पर सवाल उठाया गया था और पूछा गया था कि आम आदमी को बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है।

राजद्रोह कानून 1890 में अर्थात आज़ादी से 57 साल पहले और आई.जी.सी. आने से 30 साल पहले बताया गया था इस घटना पर टिप्पणी करते हुए राउत ने कहा कि "हम प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर टिप्पणी की थी क्या उन पर भी केस रजिस्टर करेंगे।" उन्होंने कहा, "हमारे देश के लोकतंत्र है कई नेता बयान देते हैं। अगर लोग ऐसे ही केस दर्ज कराते रहे तो बोलने का अधिकार ही नही रहेगा, जिसके लिए हम आपातकाल से लड़े थे।"

पूनिया के घर पहुंचे नए डिप्टी सी.एम. बैरवा

- पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने उपमुख्यमंत्री के पद पर मनोनीत प्रेम चंद बैरवा को बधाई दी व उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना दी।

जयपुर, 13 दिसम्बर (का.सं.)। राजस्थान के मनोनीत उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया से उनके घर जाकर मुलाकात की। डॉ. पूनिया ने बैरवा को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रदेश एवं प्रदेशवासियों की उन्नित के लिये संकल्पित होकर कार्य करेगी।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने अपने घर आए नए उपमुख्यमंत्री का शॉल ओढाकर स्वागत किया व शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि भाजपा की राजस्थान सरकार के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की महत्वपूर्ण भूमिका से राजस्थान तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।"

कुछ ही मिनटों में दो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया। ये लोग संसद भवन के बाहर अपने हाथों से ऐसे "कैन्स" लेकर खड़े थे जिनमें से पीला और लाल धुंआ निकल रहा था। यह घटना लोकसभा चैम्बर मे हुई घटना के कुछ ही मिनटों बार हुई, जिससे सांसद भयभीत हो गए।"

संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले दोनों जनो की पहचान हरियाणा के हिसार की रहने वाली 42 वर्षीया नीलम और महाराष्ट्र के लाटूर क्षेत्र के निवासी 25 वर्षीय अमोल शिंदे के रूप में हुई है।

अभी तक यह सुनिश्चित नहीं है कि संसद के अंदर और बाहर हुई घटनाओं में शामिल लोग आपस में मिले हुए थे या नहीं। विपक्ष के एक सांसद ने मोदी सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि देश की राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी केन्द्रीय गृह मंत्रालय की है।

दोनों ने अपने साथ लाए गैस कैनिस्टर्स खोल दिए, जिनसे संसद भवन के बाहर धुंआ फैल गया। दोनों ने नारे लगाए- "तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय तथा "जय भीम-जय भारत।"

एक लोकसभा सांसद ने बताया कि "युवकों ने लोकसभा में बदबूदार गैस छोड़ दी तथा यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद वे वहां गैस कैनिस्टर्स लेकर कैसे पहुंच गए।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पब्लिक गैलेरी से कूदकर लोकसभा चैम्बर में आए दूसरे युवक ने कैनिस्टर से ऐसी गैस छोड़ी जिससे आंखें जलने लगीं।

टी.एम.सी. नेता सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष ने युवकों के नारेबाजी करने पर आश्चर्य व्यक्त किया।

कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम के अनुसार यह गैस जहरीली भी हो सकती थी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा व अन्य सीनियर अधिकारियों ने संसद भवन परिसर का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। सांसद दानिश अली ने बताया कि प्रथम दृश्ट्या ऐसा लगता है कि एक विज़ीटर मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा का अथिति था।

महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी सांसद हताहत नहीं हुआ। वास्तव में, कुछ सांसदों ने शुरुआत में ही घुसपठियों को पकड़ लिया था।

सुरक्षा में चूक तब हुई जब लोकसभा में शून्य काल चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आज संसद में मौजूद नहीं थे।

ये लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए गए हुए हैं।

संसद में सुरक्षा उल्लंघन पर कर्नाटक विस. में हंगामा

- उपमुख्यमंत्री शिवकुमार द्वारा भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा का नाम लिए जाने पर भाजपा ने हंगामा किया।
- राज्य के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा अगर कांग्रेस सांसद पास दिया होता तो भाजपा पूरी कांग्रेस को ही गद्दार करार देती।

बेलगावी, 13 दिसंबर। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को संसद भवन में सुरक्षा उल्लंघन को लेकर हुए हंगामे के बाद कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही बाधित हुई और कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई जिसके कारण सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ।

संसद में सुरक्षा का उल्लंघन करने वाले लोगों को पास देने के लिए उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार की ओर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा का नाम लेने के बाद सदन में हंगामा मच गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा, प्रताप सिम्हा एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने (आरोपियों को) पास क्यों दिए। आरोपियों को देख सांसद चूहों की तरह भागे। उनकी टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने कहा कि, इस गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, डीके सुरेश भी एक सांसद हैं। अगर उन्होंने पास दे दिया होता तो क्या होता? उन्हें (शिवकुमार को) इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया कि, अगर पार्टी के सांसद द्वारा यह पास दिया गया होता तो भाजपा कांग्रेस को गद्दार करार देती। उन्होंने पूछा, क्या हमें भाजपा की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। कांग्रेस पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए अशोक ने तर्क दिया कि उन्होंने शिवकुमार को आतंकवादी नहीं कहा क्योंकि उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी कि बेंगलुरु विस्फोट के आरोपी उनके भाई हैं। हंगामा बढ़ ने से पहले अशोक ने कहा कि विधायी मुद्दे अच्छे इरादे से पारित होते हैं।

मैसूर के इंजीनियर ने जुटाए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है कि वह अक्सर सिम्हा के कार्यालय में जाया करता था। मनोरंजन ने स्वयं के लिए तो दर्शक प्रवेश पत्र प्राप्त किया ही बल्कि दो अन्य मित्रों के लिए भी प्राप्त कर लिया। सांसद के कार्यालय में उसने उसके सह-आरोपी सागर शर्मा को अपने मित्र के रूप में परिचय कराया था और नई संसद को देखने के झूठे बहाने से आगंतुक प्रवेश पत्र जारी करवा लिए।

वास्तव में उसे सिम्हा के कहने पर बुधवार को तीन आगंतुक प्रवेश पत्र दिए गए। यद्यपि उनमें से एक व्यक्ति, एक महिला को वापस लौटना था क्योंकि वह अपने बच्चे के साथ आई थी जिसका नाम उसके प्रवेश पत्र में दर्ज नहीं था। सिम्हा के कार्यालय ने उनका यह कहते हुए बचाव किया, सांसद सामान्यतया उनके निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के इस प्रकार के अनुरोध को स्वीकार करते हैं।

AKAR FOUR WHEELS : VAISHALI NAGAR : 7506023152, DAUSA : 7506023152. BANDIKUI : 7506023152, LALSOT : 7506023152. AUTOPLEX AV : SITABARI, TONK ROAD : 7506023155, BASSI : 7506023155, DUDU : 7506023155, MALPURA : 7506023155, RENWAL : 7506023155. PRATAP NEXGEN : GOPALPURA, TONK ROAD : 9167104018, KALWAR : 9251997742, JOBNER : 9251997741, TECHWHEELS : JAGATPURA : 7506023175, MANSAROVAR EXT. : 7045288538, SHAHPURA : 7506023175, TONK : 7506023175, PAOTA : 7506023175, NIWAI : 7506023175, SHREE SHYAM MOTORS : SIKAR ROAD : 7506023263, CHOMU: 7506023263, KOTPUTLI : 7506023263. ROSHAN MOTORS : RAJA PARK : 9619087477, AJMER ROAD : 7506023244, BAGRU : 7506023244, CHAKSU : 9619087477. AUTOPRIME TATA : PRATAP NAGAR, JODHPUR : 7506023278, BHAGAT KI KOTHI : 7506023278, BALOTRA : 7506023278, PALI : 7506023278, JALORE : 7506023278, BARMER : 7506023278, CHAMBAL MOTORS : KOTA : 7506023291, JHALAWAR : 7506023291, BARAN : 7506023291, BUNDI : 7506023291, BHAWANI MANDI : 7506023291, KHANPUR : 7506023291, ITAWA : 7506023291, CHAMBAL MOTOCORP LLP : UDAIPUR : 7506023432, DUNGARPUR : 9167049848, BANSWARA : 7506023432, SAGWARA : 7506023432, BRIJWHEEL AUTOMOBILES (P) LTD. : BHARATPUR : 9619304832, HINDAUN : 9619304832, DHOLPUR : 9619304832, KARAULI : 9619304832, DEEG : 9619304832, NAGAR : 9619304832, CLASSIC MOTORS : ALWAR : 7506023041, BHIWADI : 7506023041, BEHROR : 7506023041, RAJGARH : 7506023041, THANAGHAJI : 7506023041, KHAIRTHAL : 7506023041, NEEMRANA : 7506023041 DAKSH AUTOMOTIVES PVT. LTD. : NAGAUR : 7506023356, DIDWANA : 9167049809, KUCHAMAN: 7412056812, DUNAC AUTOMOBILES : Nr. DUDI PETROL PUMP, NH-15, BIKANER : 7506023077, Nr. HALDIRAM PYAU, JAIPUR ROAD, BIKANER : 7506023077, NOKHA : 7506023077, 3 ML HANUMANGARH BYEPASS ROAD, NH 62, SRI GANGANAGAR : 7506023393, HANUMANGARH : 7506023393, ANUPGARH : 7506023393, SURATGARH : 7506023393, NOHAR : 7506023393, KAMAL PASSENGER VEHICLES (P) LTD. : AERODROME CIRCLE, KOTA : 7045156412, RAMGANJ MANDI, GANGAPUR CITY, ANTAH, RAWATBHATA : 7045156412, SAWAIMADHOPUR : 7045190667 GANGAPUR : 9619305352, MARUDHARA MOTORS : JODHPUR : 7506023285, MUDGAL MOTORS : AJMER : 7506023019, KISHANGARH : 7506023019, BEAWAR : 7506023019, BIJAY NAGAR : 7506023019, KEKRI : 7506023019, SHRI CHARBHUJA AUTOMOBILES : MERTA CITY : 7506023295, DEGANA : 7506023295, SHRI KRISHNA FOUR WHEELS : JAIPUR ROAD, SIKAR : 7506023385, JAIPUR ROAD CHURU: 7506023385, NEAR RTO JAIPUR ROAD, JHUNJHUNU: 7506023385, SURAJGARH BYEPASS ROAD, CHIRAWA: 7506023385, NEEM KA THANA : 7506023385, SRI MADHOPUR : 7506023385, SUJANGARH : 7506023385, RAJGARH : 7506023385, RATANGARH : 7506023385, SP AUTOMOTIVE : UDAIPUR : MADRI : 8291328070, SECTOR-11 : 9619145960, ABU ROAD : 8291328070, YASH MOTORS : BHILWARA : 7506023055, CHITTAURGARH : 7506023055, RAJSAMAND : 7506023055, PRATAPGARH : 7506023055, DEOLI : 7506023055.

Terms and Conditions apply. *Benefits up to differs from model to model and is inclusive of consumer offer, offer valid till 31 DEC 23, exchange bonus and maximum corporate offer. ^Warranty c over for 3 years/ 1 Lakh km, which ever ends earlier. Images and Illustrations are indicative and for information purposes only. All features/specifications are not available in all variants and may vary for different variants. Specifications/features are subject to change without prior information. Colours may vary due to printing limitations. Local taxes and octroi extra. *Lower EMI would only be if existing car is traded for new car and is the value given by our channel partner if agreed by the customer is used as a downpayment for new car purchase, thereby reducing the loan amount and hence EMI. ***Fair Value is a value as determined by our channel partner through a free and fair assessment of existing car given for evaluation.** The price offered is dependent on multiple factors such as condition of existing car, age, mileage, color, market dynamics, statutory taxes etc. | Tiago XE petrol ex showroom Jaipur.

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908